

कार्यालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर
संशोधित आदेश

दिनांक : 15.07.2021

क्रमांक : 106

लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय पर नवसृजित "न्यायिक मजिस्ट्रेट" एवं श्रीमाधोपुर मुख्यालय पर नवसृजित "अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट" न्यायालयों को फौजदारी कार्य वितरण करने तथा नवसृजित "आवकारी थाना पाटन" का स्थानीय क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्रदान किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 16(2) सपठित साधारण नियम दण्डिक के नियम 64 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5 / PI / 2017 दिनांक 18.03.2017 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर की सहमति से एतद्वारा पूर्व में जारी फौजदारी कार्य वितरण आदेश क्रमांक 1170 दिनांक 19.08.2018 एवं आदेश क्रमांक 332 दिनांक 02.12.2020 में आंशिक संशोधित करते हुए निम्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आदेश क्रमांक 165 दिनांक 13.07.2021 द्वारा निर्धारित किया गया था, परन्तु उक्त दिनांक 13.07.2021 के आदेश में सहवन से क्रम संख्या-8 पर तहसील "नीमकाथाना" के स्थान पर तहसील "श्रीमाधोपुर" अंकित हो गया था। अतः पुनः संशोधित क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार नियत किया जाता है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पूर्व क्षेत्राधिकार	नवीन क्षेत्राधिकार
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, श्रीमाधोपुर	थाना श्रीमाधोपुर	थाना श्रीमाधोपुर
2.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2, श्रीमाधोपुर	आवकारी वृत्त श्रीमाधोपुर, थाना अजीतगढ़ (तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)	थाना अजीतगढ़ (तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	थाना थोई (तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)	थाना थोई (तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)
4.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	नवसृजित	आवकारी वृत्त श्रीमाधोपुर, (आवकारी वृत्त श्रीमाधोपुर के अन्तर्गत स्थापित आवकारी निरीक्षक, श्रीमाधोपुर व आवकारी थाना श्रीमाधोपुर के कार्यालय)
5.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, नीमकाथाना	थाना कोतवाली नीमकाथाना	थाना कोतवाली नीमकाथाना
6.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	थाना सदर नीमकाथाना आवकारी वृत्त नीमकाथाना	थाना सदर नीमकाथाना आवकारी वृत्त नीमकाथाना के अन्तर्गत स्थापित आवकारी निरीक्षक नीमकाथाना व आवकारी थाना, नीमकाथाना के कार्यालय
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	थाना पाटन	थाना पाटन नवसृजित आवकारी थाना पाटन
8.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	थाना अजीतगढ़ एवं थाना थोई (तहसील नीमकाथाना से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)	थाना अजीतगढ़ एवं थाना थोई (तहसील नीमकाथाना से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्राधिकार)
9.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	थाना लक्ष्मणगढ़, नेछवा व बलारा	थाना लक्ष्मणगढ़ आवकारी वृत्त फतेहपुर (आवकारी वृत्त फतेहपुर के अन्तर्गत स्थापित आवकारी विभाग के आवकारी निरीक्षक, फतेहपुर व आवकारी थाना फतेहपुर के कार्यालय) द्वारा राजस्व तहसील लक्ष्मणगढ़ (बठौट, भिल्लुण्डा, ढहर का बास, झाझड़, गनेडी, गाडोदा, घिरणिया, जसरासर, काछवा, खूडी बड़ी, कुमास जागीर, नेछवा, पाटोदा, रूल्याना माली, रूल्याणी, सूठोठ को छोड़कर) के क्षेत्राधिकार में दर्ज प्रकरण
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	नवसृजित	थाना नेछवा व बलारा
11.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	थाना कोतवाली, फतेहपुर थाना रामगढ़ सेठान आवकारी वृत्त फतेहपुर	थाना कोतवाली, फतेहपुर थाना रामगढ़ सेठान आवकारी वृत्त फतेहपुर (आवकारी वृत्त फतेहपुर के अन्तर्गत स्थापित आवकारी विभाग के समस्त निरीक्षक व प्रहराधिकारी कार्यालय सहित) द्वारा राजस्व तहसील फतेहपुर के क्षेत्राधिकार में दर्ज प्रकरण राजस्व तहसील लक्ष्मणगढ़ को छोड़कर
12.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	थाना सदर फतेहपुर	थाना फतेहपुर सदर
13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	थाना धोद	थाना धोद थाना लोसल
14.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 सीकर	थाना रानोली थाना लोसल आवकारी वृत्त उत्तर व दक्षिण, सीकर	थाना रानोली आवकारी वृत्त उत्तर व दक्षिण, सीकर के अन्तर्गत स्थापित समस्त आवकारी निरीक्षक एवं आवकारी थानो सहित

(Signature)
15/07/21 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

टिप्पणी :

- 1- यह आदेश दिनांक 17.07.2021 से प्रभावी होगा।
- 2- इस आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व में संस्थित/लम्बित आपराधिक मूल/विविध प्रकरण, अन्तिम प्रतिवेदन, सम्बन्धित प्रार्थनापत्र एवं अन्य कार्यवाहियां पूर्व आदेशानुसार शासित होंगी।
- 3- इस आदेश के प्रभावी होने से पूर्व दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों/ प्रस्तुत परिवाद रो सम्बन्धित अन्तिम परिणाम (आरोप पत्र अन्तिम प्रतिवेदन/ जांच रिपोर्ट इत्यादि) उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
- 4 इस आदेश में अपराध की स्थानियता के आधार पर क्षेत्राधिकार निर्धारण करने का मूल सिद्धान्त लागू किया गया है। अतः यह आदेश प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवादों पर समान रूप से लागू होगा। इस आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित न किए गए अधिनियमों के अन्तर्गत कारित अपराधों की जांच/ विचारण, जब तक अन्यथा आदेश/प्रावधान न हों तो, स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की जाएगी।
- 5- इस आदेश के किसी भी प्रावधान सम्बन्धी कोई संशय होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

— sd —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

दिनांक:-15.07.2021

क्रमांक:-


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
3. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक, सीकर
5. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर
6. न्यायाधीश, मोटरदुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर
7. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सीकर
8. विशिष्ट न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारण निवारण प्रकरण) सीकर
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2/ क्रम सं. 3/ क्रम सं. 4; सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना; अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर; अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दांतारामगढ़, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़
10. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, नीमकाथाना; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1/ क्रम सं. 2, श्रीमाधोपुर; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़।
11. न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर; न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1/2, सीकर; न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना; अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना; न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुड़ली सीकर।
13. वृत्ताधिकारी, वृत्त शहर सीकर/वृत्त ग्रामीण सीकर/वृत्त रींगस/वृत्त फतेहपुर/वृत्त नीमकाथाना।
14. थानाधिकारी, थाना उद्योग नगर, सीकर/ थाना कोतवाली सीकर/यातायात थाना सीकर/महिला थाना सीकर/ थाना सदर सीकर/ थाना धोद/ थाना दादिया/ थाना रानोली/ थाना लोसल/ थाना श्रीमाधोपुर/ थाना थोई/ थाना खण्डेला/ थाना अजीतगढ़/ थाना कोतवाली, नीमकाथाना/ थाना सदर नीमकाथाना/ थाना पाटन/ थाना कोतवाली फतेहपुर/ थाना रामगढ़ सेठान/ थाना सदर फतेहपुर/ थाना लक्ष्मणगढ़/ थाना नेछवा/ थाना बलारां/थाना

15/07/21
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

रीगस / थाना दातारामगढ / थाना खाटूश्यामजी / पी.सीपी.एन.टी.डी. थाना जयपुर / आबकारी वृत्त
उत्तर एवं दक्षिण, सीकर / आबकारी वृत्त श्रीमाधोपुर / आबकारी वृत्त फतेहपुर / आबकारी वृत्त
नीमकाथाना, आबकारी थाना उत्तर व दक्षिण, सीकर, आबकारी थाना फतेहपुर /
श्रीमाधोपुर / नीमकाथाना / पाटन

15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ / सीकर / नीमकाथाना / श्रीमाधोपुर / फतेहपुर / लक्ष्मणगढ / दांतारामगढ /
रीगस।
16. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर।
17. कार्यालय प्रति / रक्षित पत्रावली


15/03/21
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)
सीकर (राज.)